पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति 5.0- मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ।

थाना बीकेटी द्वारा कस्बा बीकेटी में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, घरेलू हिसा से सुरक्षा, और सरकारी योजनाओं के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीकों और महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी।

दिनांक- 07.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बीकेटी द्वारा कस्बा बीकेटी में 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत महिला सशक्तिकरण विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य "मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ" के संकल्प को साकार करना था। इसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के प्रभावी तरीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, उन्हें महत्वपूर्ण महिला हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थितियों में वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। यह पहला महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुई।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक **सराहनीय कदम** है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

आयोजन/आयोजक टीम -

- उप निरीक्षक श्री सुरेश राजपूत, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रचना शर्मा, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी शिखा शर्मा, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना बीकेटी द्वारा आयोजित इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में कस्बा बीकेटी में ।

प्रतिभागी: -

- उप निरीक्षक श्री सुरेश राजपूत, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रचना शर्मा, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी शिखा शर्मा, थाना बीकेटी, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना बीकेटी द्वारा आयोजित इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम में **महिला व बच्चे**।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण पहल "मिशन शक्ति 5.0" के अंतर्गत, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ कमिश्नरेट में जागरूकता कार्यक्रमों की शृंखला में आज दिनांक 07.01.2026 को बीकेटी थाना क्षेत्र में कस्बा बीकेटी में आई करीब 20- 30 महिलाओं व बच्चो को मिशन शक्ति अभियान के तहत बताया गया कि कि कौन कौन-से आचरण और व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा साइबर जागरूकता अभियान के महिलाओं को मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 112, 181, 1930 ,102,108 तथा थाना स्थानीय पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र महिला हेल्प डेस्क, बाल विवाह निषेध एवं वर्तमान में हो रहे महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में जागरूक किया गया और साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल अरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है , महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी एवं महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 का प्राथमिक उद्देश्य

मिशन शक्ति 5.0 का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। यह निम्नलिखित बुनियादी स्तंभों पर केंद्रित है:

1. **सुरक्षा और सहायता:**
    - महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और कम करना।
    - उन्हें हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना।
    - प्रभावित महिलाओं को त्वरित न्याय, कानूनी सहायता और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना।
2. **आर्थिक सशक्तिकरण:**
    - महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता (Entrepreneurship) और रोजगार के अवसर प्रदान करना।
    - उन्हें वित्तीय साक्षरता और बाजार से जोड़ने में मदद करना।

सामाजिक सशक्तिकरण:

- समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और सामुदायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बनाना।

इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी जानकारी समाज के अंतिम छोर तक, हर गली-मोहल्ले और गाँव तक पहुँचे। आइए, हम सभी इसके दूत बनें और इसके बारे में जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें, ताकि कोई भी पीड़ित महिला अज्ञानतावश या सहायता के अभाव में न रह जाए।

एक सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन हर महिला का मौलिक अधिकार है, और "मिशन शक्ति" निश्चित रूप से इस अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत स्तंभ का कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:

1. **हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी:** महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों - 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम), 1098 (चाइल्डलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन ambulance) और 1076 (COVID-19 हेल्पलाइन) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
2. **सुरक्षा योजनाओं का प्रचार-प्रसार:** एंटी रोमियो टीम, महिला शक्ति केंद्र, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एप्लीकेशन और महिला हेल्प डेस्क जैसी सुरक्षा योजनाओं के बारे में बताया गया, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से संचालित हैं।
3. **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** सोशल मीडिया, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और अन्य साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। साइबर अपराध की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1930 के उपयोग की जानकारी दी गई।
4. **यातायात नियमों का पालन:** यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत उपस्थित लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने, तीन सवारी न बैठाने, गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

सामग्री वितरण:

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी से युक्त पम्पलेट वितरित किए गए, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को न केवल अपने अधिकारों और उपलब्ध सुरक्षा तंत्रों की जानकारी प्राप्त हुई, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना का भी संचार हुआ, जो मिशन शक्ति के 'हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 07.01.2026 को ग्राम बालसिंह पुर थाना महिंगवाँ जनपद लखनऊ में थाना स्थानीय से मौजूद फोर्स द्वारा बच्चो व महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए पुलिस हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 1090,181,1076 एवं अन्य महत्वपूर्ण नंबरो के साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र (वीमेन पावर लाइन), महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र व साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप, आदि के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई तथा साइबर क्राइम से बचाव और सुरक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं(शिक्षा/ बैंक सुविधा/ विधवा पेंशन योजना व अन्य) के बारे में जरिए पेम्फलेट महिला सशक्तिकरण संबंधी जागरुकता अभियान चलाया गया।

मिशन शक्ति 5.0: एक संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

1. सुरक्षा एवं सजगता: महिलाओं एवं छात्राओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा) से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना।
2. हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार: महिला हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), और 181 (महिला हेल्पलाइन) जैसे महत्वपूर्ण नंबरों से अवगत कराना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
3. शिक्षा का महत्व: लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शैक्षिक अधिकारों के प्रति सजग करना।
4. कानूनी अधिकारों की जानकारी: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों (जैसे POCSO अधिनियम) की जानकारी देना।
5. सामुदायिक सहयोग: पुलिस और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाकर एक सुरक्षित माहौल बनाना।

निष्कर्ष

मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय और सतत प्रयास है। यह अभियान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने का प्रयास है। महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन सुविधाओं से अवगत कराकर यह अभियान उन्हें आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।

इसके माध्यम से न केवल भयमुक्त वातावरण का सृजन हो रहा है, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की नींव रखी जा रही है जहाँ महिलाएं सुरक्षित रहते हुए अपनी शिक्षा और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। संक्षेप में कहें तो, मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा को एक जन-आंदोलन का रूप देकर 'सबकी सुरक्षा-सबकी भागीदारी' के सिद्धांत को साकार करने की एक प्रभावशाली पहल है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 07.01.2026

मिशन शक्ति 5.0 जागरूकता है सशक्तिकरण की कुंजी, मिशन शक्ति बनेगी तुम्हारी सहयोगी।

थाना अलीगंज टीम द्वारा साठ फीटा रोड चौकी क्षेत्र शिवलोक, अलीगंज में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी देकर बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजन स्थल

- उ0नि0 रवींद्र नाथ, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- साठ फीटा रोड चौकी क्षेत्र शिवलोक, अलीगंज में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रतिभाग-

- उ0नि0 रवींद्र नाथ, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उप निरीक्षक प्रगति सिंह , थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उपनिरीक्षक आशी गुप्ता, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- साठ फीटा रोड चौकी क्षेत्र शिवलोक, अलीगंज में मिशन शक्ति कार्यक्रम में जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 07.01.2026 को अलीगंज टीम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वायड टीम व मिशन शक्ति टीम के द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर जागरूकता अभियान के तहत साठ फीटा रोड चौकी क्षेत्र शिवलोक, अलीगंज में महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया।

इसके अलावा, उन्हें यूपी- (यूपी कॉप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया, साथ- साथ महिला हेल्प डेस्क , मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं व बच्चो को मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना ।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-32
दिनांक 07.01.2026

लखनऊ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान- शहर के 05 जोनों में व्यापक व प्रभावी कार्यवाही।

05 जोनों में 134 स्थानों पर छापेमारी | 1045 से ज्यादा लोग चिन्हित | 09 अभियुक्तों गिरफ्तार | 9.638 किलोग्राम मादक पदार्थ (गांजा) बरामद।

- ***लखनऊ पुलिस टीम की मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध सघन अभियान।***
- ***कमिश्नरेट के सभी थानों द्वारा की गयी व्यापक चेंकिग अभियान***
- ***शहर के सभी पाँच जोनों में अब तक 134 स्थान पर छापेमारी की गई।***
- ***NDPS Act की धारा 8/20 के अंतर्गत अब तक कुल 07 अभियोग पंजीकृत।***
- ***कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार। कुल 9.638 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।***

कार्यवाही-

कमिश्नरेट लखनऊ में नशा मुक्ति के क्रम में **#saynotodrugs** को बढ़ावा देते हुए तथा मादक पदार्थों के सेवन/ बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों के संबंध में नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतें के आधार पर ***दिनांक 06.01.2025*** को व्यापक अभियान चलाकर एंटी नार्कोटिक्स टीम, स्वाट टीम की संयुक्त टीमों द्वारा पाँचों जोन में ***30 स्थानों*** पर कार्यवाही की गयी थी, जिसमें ***06 अभियुक्तों को गिरफ्तारी*** की गयी और ***100 से ज्यादा*** लोग चिन्हित किये गये थे।

*उसी क्रम में पुनः उन्ही कार्यवाही को आगे बढाते हुए आज **दिनांक 07/01/2026** को सभी थानों को सम्मिलित करते हुए मादक पदार्थों की बिक्री/सेवन की शिकायत वाले स्थानों पर व्यापक अभिसूचना संकलन किया गया, जिसके आधार पर शहर के पाँचों जोनों में **कुल 104 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 8/20 के अंतर्गत 03 अभियोग पंजीकृत किया गया।***

अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों द्वारा अभियान के दौरान अब तक 104 चिन्हित स्थानों व अन्य संभावित स्थानों के आस-पास पर एक साथ छापेमारी एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान ***945 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों*** की चेकिंग कर उनकी पहचान एवं गतिविधियों का सत्यापन किया गया। मादक पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्ति से जुड़े ***अवैध नेटवर्क की जानकारी एकत्र*** की गई। अभिसूचना संकलन के दौरान अन्य संभावित स्थानों एवं व्यक्तियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनके संबंध में आवश्यक छानबीन की जा रही है।

इस अभियान के दौरान दिनांक 06.01.2025 को की गयी कार्यवाही का विवरण-:

- **थाना गोमतीनगर** से अभियुक्त राकेश शर्मा उर्फ लम्बु (पुत्र परसुराम) के कब्जे से 1140 ग्राम अवैध गांजा और 2280 रुपये नगद बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।
- **थाना विभूतिखण्ड** से 01-सुमित तिवारी 02-सोनू मोदी 03-गोलू मोदी के कब्जे से कुल 1850 ग्राम गांजा और 1160 रुपये नगद बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मड़ियांव** से चेतन शर्मा कब्जे से 2.173 किलोग्राम गांजा और 5460 रुपये बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।
- **थाना गाजीपुर से** राशिद के कब्जे से 515 ग्राम गांजा और 520 रुपये बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही में पुलिस ने कुल 5.678 किलोग्राम गांजा और 9,420 रुपये की नकदी बरामद की है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थानों में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 07.01.2025 को कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण एवं NDPS Act के अंतर्गत की गई विधिक कार्यवाही-

01- थाना आलमबाग में अभियोग संख्या **3/26** अंतर्गत धारा 8/20 NDPS Act में **शिव मंदिर के सामने, रेलवे पुलिस आवास के पास** से अभियुक्त **विशु उर्फ विशाल** पुत्र विजय, निवासी गुलजारनगर, थाना बाजारखाला को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **1110 ग्राम अवैध गांजा** बरामद किया गया।

02-थाना चिनहट में अभियोग संख्या **9/26** अंतर्गत धारा 8/20 NDPS Act में **लोलाई पावर हाउस के पीछे** से अभियुक्त **कुनाल रावत** पुत्र रामकुमार, निवासी सी-ब्लॉक, थाना गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **02 किलोग्राम अवैध गांजा** बरामद किया गया।

03- थाना जानकीपुरम में अभियोग संख्या **4/25** अंतर्गत धारा 8/20 NDPS Act में **तिवारीपुर प्राथमिक पाठशाला, नई बस्ती** से अभियुक्त **सचिन कुमार** पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी मुस्लिमनगर, थाना जानकीपुरम को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **850 ग्राम अवैध गांजा** बरामद किया गया।

इस अभियान के दौरान पुलिस द्वारा **कुल 3.96 किलोग्राम अवैध गांजा** बरामद किया गया है। **सभी अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित थानों में वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है** तथा उनसे जुड़े मादक पदार्थ आपूर्ति नेटवर्क के संबंध में गहन विवेचना की जा रही है। **जनपद में ऐसे अन्य संभावित स्थानों पर भी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।**

"इस अभियान के माध्यम से न केवल मादक पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, बल्कि उनसे जुड़े आपूर्ति नेटवर्क की भी गहन विवेचना की जा रही है। जनपद में नशा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे।"

—श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-30
दिनांक-07.01.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना-पारा

- **नाबालिग पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **पीड़िता द्वारा विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली गयी।**
- **थाना पारा पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.01.2026 को थाना स्थानीय पर **वादी द्वारा सूचना दी कि उनकी नाबालिग पुत्री द्वारा विषैला पदार्थ खाया गया है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है तथा पुत्री ने अपने सुसाइड नोट में श्याम सिंह पुत्र भगवानदीन निवासी खन्नापुरवा पोस्ट बेरौरी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी।** वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना पारा लखनऊ पर मु0अ0सं0 02/2026 धारा 64(1)/108/351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में थाना स्थानीय पर विशेष टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 07.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र श्री भगवान दीन उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मुसरफाबाद (खन्ना पुरवा) थाना बिलग्राम जनपद हरदोई को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-श्याम सिंह पुत्र श्री भगवान दीन उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम मुसरफाबाद (खन्ना पुरवा) थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 02/2026 धारा 64(1)/108/351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पारा लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री गौरव सिंह थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 लवलेश कुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 राजकुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-31
दिनांक 07.01.2026

आज दिनांक 07.11.2026 को **श्री बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ** द्वारा अपने कार्यालय में जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 3436/2020 गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स द्वारा सचिव, गिरधर गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश के क्रम में विद्यालयों के आस-पास यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाने के सम्बन्ध में बैठक की गयी। जिसमें विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रबंधकों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी तथा अपर पुलिस उपायुक्त/समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात व अन्य यातायात संबन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गयेः-

- उक्त बैठक में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा यातायात को सुचारु बनाने के लिए कार्यवाही करना।
- जिन विद्यालयों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है उन विद्यालयों को कार्ययोजना तैयार कर कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- विद्यालयों द्वारा एक **नोडल यातायात अधिकारी** को नियुक्त करें, जो विद्यालय के खुलने व बन्द होने के समय सम्पूर्ण विद्यालय अवधि में विद्यालय के बाहर यातायात प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- प्रत्येक विद्यालय **केंन्द्रिकृत एनाउन्समेण्ट सिस्टम** लगाये, जिससे आवश्यकतानुसार उदघोषणा की जा सके।
- विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध पार्किंग स्थल में ही विद्यालय कर्मियों के साथ-साथ अभिभावकों के वाहन भी खड़े कराये जायें
- कक्षा 05 तक के बच्चे जो स्कूल वैन/वाहन में 5 या 5 से अधिक संख्या में एक साथ आते हो उनको स्कूल परिसर के अंदर स्कूल वैन/वाहन से उतरना एवं उनको ले जाने के लिए उचित प्रबन्ध करना आदि बिन्दुओं पर अमल लाने के लिए चर्चा की गयी।
- जिन विद्यालय के पास **पार्किंग स्थल** उपलब्ध नहीं हैं, वे अपने विद्यालयों के निकट किसी उचित स्थान को चिन्हित कर उसे पार्किंग स्थल के रूप में प्रयोग करने की कार्यवाही करें।
- विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को बच्चों के स्कूल आने व जाने हेतु स्कूल बस/स्कूल वैन के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रबन्धकों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया गया।

भविष्य की योजना:

- **दिनांक 10.01.2026** तक समस्त विद्यालयों द्वारा यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर ली जाये। उक्त कार्ययोजना की समीक्षा एक संयुक्त टीम द्वारा की जायेगी, जिसमें विद्यालयों के अधिकारी/यातायात पुलिस के अधिकारी/विद्यालय में नियुक्त यातायात नोडल अधिकारी सम्मिलित होंगे। समीक्षा उपरान्त कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।